राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 93

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, बुधवार, 11 सितंबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

कांग्रेस की आंतरिक राजनीति से आजिज उर्मिला ने पार्टी छोड़ी
>> 4

कश्मीर पर पाकिस्तान ने फिर मुंह की खाई

यूएनएचआरसी का 42वां सत्र ▸ भारत की दो टूक- कश्मीर पर जांच तो दूर, पाक को बोलने का भी हक नहीं

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पड़ोसी देश की झूठी दलीलों को किया खारिज

जेनेवा, प्रेट्र : जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने का मुद्दा उठाने पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) में पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। मंगलवार को पाकिस्तान की झूठी दलीलों और अंतरराष्ट्रीय जांच की मांग पर भारत ने कहा कि जांच तो दूर, कश्मीर पर पड़ोसी को बोलने का भी हक नहीं। भारत ने स्पष्ट किया कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना भारतीय संसद द्वारा किया गया एक संप्रभु निर्णय है। भारत अपने आंतरिक मामले में कोई हस्तक्षेप स्वीकार नहीं कर सकता।

यूएनएचआरसी के 42वें सत्र में पाक विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के बयान पर भारत के प्रतिक्रिया के अधिकार का प्रयोग करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रथम सचिव विमर्श आर्यन ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, 'इस मंच को झूठी दलीलों के साथ राजनीतिक रंग देने और ध्रुवीकरण की कोशिश में दिए गए पाकिस्तान के बौखलाहट भरे बयान पर हमें कोई आश्चर्य नहीं है। पाकिस्तान समझ गया है कि हमारे फैसले ने सीमापार से आतंकवाद को लगातार पोषित करने की राह में बाधा पैदा करते हुए उसके पैरों तले से जमीन खींच ली है।' आर्यन ने पाक प्रधानमंत्री इमरान खान के भारत विरोधी बयानों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, 'कुछ पाकिस्तानी नेता जम्मू-कश्मीर में हिंसा भड़काने के लिए जेहाद की अपील भी करने लगे हैं। वो दूसरे देशों के सामने नरसंहार की तस्वीर पेश करने में लगे हैं, जबकि उन्हें भी पता है कि यह सच से कोसों दूर है।' आर्यन ने कहा कि पाकिस्तान यहां मानवाधिकारों का वैश्विक पैरोकार बनने की कोशिश में है लेकिन दुनिया मूर्ख नहीं बन सकती है। पाक की वाहियात कोशिशों से उसके यहां अल्पसंख्यकों की दयनीय स्थिति से दुनिया का ध्यान हट नहीं जाएगा।

इससे पहले विदेश मंत्रालय के पूर्वी मामलों की सचिव विजय ठाकुर सिंह ने भी इशारों में पाकिस्तान को लताड़ लगाई थी। उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों के बहाने दुर्भावनापूर्ण राजनीतिक एजेंडे के लिए वैश्विक मंचों का दुरुपयोग करने वालों की निंदा होनी चाहिए। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले पर उन्होंने कहा, 'हम दोहराना चाहते हैं कि संसद द्वारा पारित अन्य कानूनों की तरह यह एक संप्रभु निर्णय है, जो पूरी तरह भारत का आंतरिक मामला है। कोई भी देश अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप स्वीकार नहीं कर सकता है। भारत तो बिल्कुल भी नहीं।' असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को भी सिंह ने भारत के सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में उठाया गया वैधानिक, पारदर्शी और बिना भेदभाव के उठाया गया कदम बताया।

पिटता ही रहा है पाक : जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने से बौखलाया पाक इस मसले पर दुनिया के विभिन्न मंचों पर पिटता ही रहा है। उसे किसी देश का साथ नहीं मिला। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस मुद्दे पर पाक व चीन अकेले पड़ गए थे। मुस्लिम देशों ने भी साथ नहीं दिया। हाल में मालदीव की संसद में भी पाक को मुंह की खानी पड़ी थी।

स्विटजरलैंड के जेनेवा में मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाक के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के बयान पर विदेश मंत्रालय के प्रथम सचिव विमर्श आर्यन (बाएं) ने जवाब दिया। एएनआइ

पाक की दलील

- कश्मीर मामले पर यूएनएचआरसी को चुप नहीं बैठे रहना चाहिए।
- कश्मीर के लोगों को नहीं मिल रहे मूलभूत व जरूरी मानवाधिकार।
- भारत ने ऐसे मानवाधिकार नियमों का उल्लंघन किया, जिसमें पाक भी पक्ष है।

भारत का जवाब

- वैश्विक मंचों पर अपना एजेंडा फैलाने वालों की निंदा की जानी चाहिए।
- दूसरे देशों के मामले में टांग अड़ाने वाले अपने गिरेबां में झांकें।
- वास्तव में जो खुद षड्यंत्रकारी होते हैं, वे स्वयं को ही पीड़ित बताने लगते हैं।

पड़ोसी देश ने माना, कश्मीर भारत का हिस्सा

यूएनएचआरसी की बैठक में पहुंचे पाक के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, 'भारत दुनिया को यह दिखाने की कोशिश में है कि जीवन सामान्य हो गया है। अगर सब सामान्य है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि भारत क्यों अंतरराष्ट्रीय मीडिया, संगठनों, एनजीओ व अन्य को भारतीय राज्य जम्मू-कश्मीर में सच जानने के लिए नहीं जाने दे रहा।' अब तक पाक आधिकारिक बयानों में जम्मू-कश्मीर को 'भारत अधिकृत कश्मीर' कहता रहा है।

पाक का सहारा बने राहुल गांधी और उमर के बयान

नई दिल्ली, एएनआइ : पाकिस्तान ने यूएनएचआरसी में अपना पक्ष रखने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला के बयानों का सहारा लिया। पाक डोजियर के लीक हुए शुरुआती पन्नों से यह बात सामने आई है।

(संबंधित खबरें पेज-13 पर)

सरोकार

मूंज से लिख रहीं ग्राम्य स्वावलंबन की सुंदर पटकथा

प्रयागराज : उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के कई गांवों में मूंज उत्पादों का निर्माण

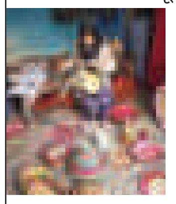

कुटीर उद्योग की शक्ल ले चुका है। ग्रामीण महिलाओं द्वारा मूंज से तैयार किए गए सुंदर उपयोगी सामान देश के बड़े शहरों तक पहुंच रहे हैं। (पेज-11)

जागरण विशेष

अवैध शराब भट्ठियों के लिए बदनाम गांव की बदली पहचान

अलीगढ़ : उप्र का गांव मिरगौला अवैध

शराब कारोबार के लिए बदनाम था। 50 परिवार 70 साल से शराब बना और बेच रहे थे, लेकिन अब सभी ने इससे तौबा कर ली है। गांव नशा-मुक्ति की ओर बढ़ चला है। (पेज-11)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▸ पृष्ठ 3

कांग्रेस में ज्यादातर पदों के लिए चुनाव कराना जरूरी : थरूर

नई दिल्ली : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा है कि कार्यसमिति सहित पार्टी में ज्यादातर पदों के लिए चुनाव जरूरी हैं। उन्होंने यह उम्मीद भी जताई कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में जल्द ही पार्टी के अंदर चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी।

नेशनल न्यूज ▸ पृष्ठ 5

मुहर्रम पर भी शांत रही कश्मीर घाटी, मुस्तैद रहे सुरक्षाबल

श्रीनगर : कश्मीर में आतंकियों और अलगाववादियों की धमकियों के बावजूद मुहर्रम पर भी कश्मीर शांत रहा। कहीं से भी हिंसा का कोई समाचार नहीं मिला। हालांकि प्रशासन ने वादी में हिंसा भड़काने के आतंकी मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए पहले से ही पाबंदियां लगा दी थीं।

बिजनेस ▸ पृष्ठ 12

आसियान के साथ एफटीए की समीक्षा पर बनी सहमति

नई दिल्ली : भारत की चिंताओं को देखते हुए आसियान देश मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की समीक्षा पर सहमत हो गए हैं। आसियान ने माना है कि आर्थिक संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए एफटीए को ज्यादा बिजनेस फ्रेंडली बनाने की जरूरत है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह संगठन एक संयुक्त समिति बनाने को भी राजी हो गया है।

अंतरराष्ट्रीय ▸ पृष्ठ 13

ब्रिटिश संसद में मध्यावधि चुनाव का प्रस्ताव फिर गिरा

लंदन : ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को मध्यावधि चुनाव कराने की मांग पर संसद में फिर हार का सामना करना पड़ा है। इस झटके के बावजूद उन्होंने वादा किया कि वह ब्रेक्जिट समझौते के लिए प्रयास करना जारी रखेंगे। संसद की कार्यवाही निलंबित होने से पहले सोमवार देर रात तक चली बहस के बाद हुए मतदान में मध्यावधि चुनाव कराने की मांग वाला प्रस्ताव गिर गया।

अब नेपाल को मिलेगा सस्ता ईंधन

नई दिल्ली, प्रेट्र : अच्छे पड़ोसी से पक्की और फायदा पहुंचाने वाली दोस्ती की मिसाल पेश करते हुए भारत-नेपाल के बीच मंगलवार को तेल पाइपलाइन शुरू कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेपाली समकक्ष केपी ओली ने संयुक्त रूप से इस पाइपलाइन का उद्घाटन किया। दक्षिण एशिया में यह इस तरह की पहली सुविधा है। इससे नेपाल को सस्ता ईंधन मिलेगा। बिहार के मोतिहारी से नेपाल के अमलेखगंज तक यह लाइन बिछाई गई है।

वीडियो लिंक से किया शुभारंभ : नेपाल स्थित भारतीय दूतावास द्वारा जारी बयान के अनुसार, दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने अपनी-अपनी राजधानियों में बैठकर वीडियो लिंक से इसका शुभारंभ किया। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (आइओसीएल) ने नेपाल ऑयल कारपोरेशन के साथ तालमेल कर 324 करोड़ रुपये की लागत से यह लाइन बिछाई है। इस बारे में दोनों देशों के बीच अगस्त 2014 में एमओयू पर दस्तखत किए गए थे। दोनों पक्ष नेपाल के अमलेखगंज में पेट्रोल के भंडारण के लिए 75 करोड़ रुपये की लागत से अतिरिक्त स्टोरज सुविधा भी बनाएंगे।

30 माह तय थे, 15 माह में कर दी तैयार : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नेपाल के विकास के प्रति वचनबद्ध है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय परियोजनाओं पर काम तेजी से जारी है, वह जल्द ही ओली के साथ इनका शुभारंभ करेंगे। पाइपलाइन रिकॉर्ड समय में तैयार की गई है। इसकी समय सीमा 30 माह तय थी, लेकिन पिछले साल प्रधानमंत्री ओली की भारत यात्रा के दौरान शिलान्यास के मात्र 15 माह में यह तैयार कर दी गई। हर साल इस पाइपलाइन से नेपाल को 20 लाख टन स्वच्छ पेट्रोलियम उत्पाद सस्ते दामों पर मिलेंगे। अब तक नेपाल को ट्रकों और टैंकरों से ईंधन की सप्लाई की जाती थी।

पीएम नरेंद्र मोदी और नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइप लाइन का उद्घाटन किया। एएनआइ

- भारत-नेपाल तेल पाइपलाइन का मोदी-ओली ने किया उद्घाटन
- दक्षिण एशिया में पहली बार दो देशों के बीच तेल पाइपलाइन चालू

कश्मीरी फल उत्पादकों से सेब खरीदेगा नैफेड

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

- सात लाख किसान होंगे लाभान्वित, दो हजार करोड़ से 12 लाख मीट्रिक टन सेब खरीदे जाएंगे
- प्रशासन ने किसानों को राष्ट्र विरोधी तत्वों और बिचौलियों से बचाने के लिए उठाया यह कदम

कश्मीर घाटी में राष्ट्रविरोधी तत्वों द्वारा जबरन कराए जा रहे बंद से सेब उत्पादकों को हो रहे नुकसान से बचाने के लिए नैफेड (राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन संगठन) किसानों से सीधे सेब खरीदेगा। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (एमआइएस) के तहत नैफेड 15 दिसंबर 2019 तक खरीद प्रक्रिया को पूरा करेगा। इस दौरान दो हजार करोड़ की लागत से 12 लाख मीट्रिक टन सेब की खरीद होगी। इससे करीब सात लाख किसान लाभान्वित होंगे।

पांच अगस्त से कश्मीर में कानून व्यवस्था की उपजी स्थिति के मद्देनजर सेब उत्पादक अपनी तैयार फसल को समय रहते देश की विभिन्न मंडियों में नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इसके अलावा उनकी फसल का एक हिस्सा बागों में खराब हो रहा है। जो सेब उत्पादक अपना माल किसी तरह मंडियों या देश के अन्य भागों में भेज रहे हैं, उन्हें आतंकियों द्वारा धमकाया जा रहा है।

आतंकी वारदात के बाद प्रशासन ने लिया संज्ञान : आतंकियों ने सोपोर मंडी बंद कराने के लिए गत शुक्रवार रात सोपोर में ढाई वर्षीय आसमा जान समेत चार लोगों को गोली मारी थी। इसे देखते हुए राज्य प्रशासन ने नैफेड की मदद लेने का फैसला किया है। नैफेड ने कश्मीर में कुल उत्पादन का आधे से ज्यादा सेब खरीदने का फैसला किया है।

मोल समिति तय करेगी क्रय मूल्य : नैफेड कश्मीर के सेब उत्पादकों से ए, बी और सी समेत हर ग्रेड का सेब खरीदेगा। सेब की गुणवत्ता और ग्रेडिंग के आधार पर ही किसानों को फसल के दाम मिलेंगे।

कार्यान्वयन, समन्वय समिति की अध्यक्षता करेंगे मुख्य सचिव : खरीद योजना के कार्यान्वयन और संबंधित विभागों में तालमेल के लिए मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रहमण्यम की अध्यक्षता में कार्यान्वयन व समन्वय समिति होगी। कृषि मंत्रालय, गृह मामलों व अन्य केंद्रीय एजेंसियां इस योजना के कार्यान्वयन की समग्र निगरानी करेंगी।

सीधे बैंक में आएगा भुगतान : मंडलायुक्त बसीर अहमद खान ने बताया कि यह योजना सिर्फ जम्मू कश्मीर के किसानों के लिए चलाई जा रही है। शुरू में श्रीनगर, सोपोर और शोपियां के सेब उत्पादकों को इसके दायरे में लाया जाएगा। उत्पादकों को मौजूदा समय में मिल रहे दाम से कहीं ज्यादा दाम इस योजना के तहत मिलेंगे। किसानों को उनके आधार कार्ड के नंबर के मुताबिक बैंकों में उनकी फसल का भुगतान किया जाएगा।

प्रतीकात्मक

कैंटरबरी के आर्कबिशप ने कहा, जलियांवाला बाग कांड के लिए शर्मिंदा हूं, माफ करें

इंग्लैंड के कैंटरबरी के आर्कबिशप जस्टिन वेल्बी ने मंगलवार को धार्मिक नगरी अमृतसर स्थित जलियांवाला बाग में शहीदी स्मारक पर चिलचिलाती धूप में तपते पत्थर पर दो बार पेट के बल लेटकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा उन्होंने यहां हुए नरसंहार के लिए प्रायश्चित किया। जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए हो रही सभा में अंग्रेज अफसर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थीं, जिसमें 400 से अधिक लोग शहीद हुए थे और दो हजार से ज्यादा घायल हुए थे। कैंटरबरी के आर्क बिशप इंग्लैंड के चर्च के वरिष्ठ बिशप और प्रमुख नेता हैं, जो दुनिया भर में एंग्लिकन कम्युनियन के प्रतीकात्मक प्रमुख हैं। (खबर पेज-6 पर) एएफपी

गुजरात सरकार ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना घटाया

शत्रुघ्न शर्मा, गांधीनगर

गुजरात सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम-2019 की 50 धाराओं में संशोधन करते हुए जुर्माने की राशि 50 फीसद तक घटा दी है। नई जुर्माना राशि 16 सितंबर से प्रभावी होगी। साथ ही राज्य सरकार ने वाहनों की रफ्तार भी निर्धारित कर दी है। गांवों में यह 50, शहर में 60 और महानगरों में 70 किमी प्रति घंटा होगी।

मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने मंगलवार को बताया कि सड़क दुर्घटनाओं के कारण हर साल हजारों निर्दोष लोगों को जान गंवानी पड़ती है। केंद्र सरकार ने हाल ही में मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन करते हुए भारी भरकम जुर्माना राशि घोषित की थी, लेकिन राज्य सरकार ने अपने अधिकार का उपयोग करते हुए जुर्माना राशि में संशोधन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क पर तेज रफ्तार, खतरनाक ढंग से और नशे में वाहन चलाने पर 1,500 से लेकर 5,000 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ेगा। वाहन चलाते वक्त ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल), प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी), पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) नहीं होने और मोबाइल पर बात करने जैसे अपराध के लिए जुर्माना राशि केंद्र के समान 500 रुपये ही रखी गई है, लेकिन बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन चलाने पर जुर्माना राशि 1,000 से घटाकर 500 रुपये कर दी गई है। हालांकि दूसरी बार पकड़े जाने पर जुर्माना राशि 1,000 रुपये ही रखी गई है। गलत तरीके से और यातायात में बाधा उत्पन्न करते हुए पार्किंग और शीशों पर डार्क फिल्म चढ़ाने पर भी 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय कानून में दोपहिया वाहन पर तीन सवारी बैठने की अनुमति नहीं है, लेकिन राज्य सरकार इसमें सख्ती नहीं बरतेगी। साथ ही केंद्रीय कानून में दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट अनिवार्य है, लेकिन इस मामले में भी राज्य सरकार सख्ती नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि डिजी लॉकर मान्य होगा। साथ ही वाहन चालक 15 दिन में कभी भी दस्तावेज दिखाकर जुर्माना राशि से बच सकेंगे।

जुर्माना राशियों में बदलाव

अपराध	केंद्रीय कानून	गुजरात सरकार	पहले जुर्माना
ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होना	5,000	2,000-3,000	500
बिना हेलमेट	1,000	500	100
बिना पीयूसी	5,000-10,000	500-5,000	5,000
डेंजर व रांग ड्राइविंग	5000-10000	1,500-5,000	--
एंबुलेंसको साइड नहीं देना	10,000	1,000	100
रोड रेस, स्पीड ट्रायल	5,000-10,000	5000	500
ओवरलोडिंग	20,000	1,000-4,000	1,000

छत्तीसगढ़ में 82 फीसद आरक्षण के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका

नईदुनिया, बिलासपुर : छत्तीसगढ़ में सरकार ने जातिगत आरक्षण के दायरे में बदलाव करते हुए इसकी सीमा 82 फीसद पहुंचा दी है। पिछले सप्ताह ही सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी की है। आरक्षण में की गई वृद्धि को चुनौती देते हुए एक वकील ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिकाकर्ता ने आरक्षण को असंतुलित बताते हुए इसे चुनौती दी है।

बिलासपुर के अधिवक्ता आदित्य तिवारी ने हाई कोर्ट में पहली याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि आरक्षण प्रदेश के विकास के लिए ठीक नहीं है। 82 फीसद आरक्षण लागू होने के बाद अनारक्षित वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। इससे अनारक्षित वर्ग के युवकों की पढ़ाई से लेकर शासकीय नौकरी के सभी रास्ते बंद हो जाएंगे। ज्ञात हो, प्रदेश में 82 फीसद आरक्षण लागू करने के सरकार के निर्णय का विरोध किया जा रहा है। सवर्णों ने इसके खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया और आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने की मांग की। इससे सोशल मीडिया में भी बहस छिड़ गई है। इसी के साथ अब आरक्षण के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी भी शुरू हो गई है। ज्ञात हो, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 15 अगस्त को राज्य में लागू जाति आरक्षण में बदलाव की घोषणा की थी।

वित्त मंत्री बोलीं

ओला-उबर भी ऑटो सेक्टर में मंदी का कारण

निर्मला सीतारमण ने रेडियो टैक्सी सेवाओं को ऑटो सेक्टर की सुस्ती बताकर शुरू की नई बहस

जेएनएन, नई दिल्ली

- इस वर्ष की शुरुआत से ही ऑटो सेक्टर की बिक्री में लगातार आ रही कमी
- अनौपचारिक रूप से ऐसी दलील नई नहीं, मगर सरकार का ऐसा मानना अलग संकेत

लगभग एक दशक पहले देश के विभिन्न शहरों में रेडियो टैक्सी की शुरुआत से ऑटो सेक्टर को जिस तरह के नुकसान की बात कही जा रही थी, सरकार ने एक तरह से उसकी तस्दीक कर दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चेन्नई में कहा कि इस सदी में पैदा हुई नई पीढ़ी कार खरीदने की जगह ओला और उबर जैसी रेडियो टैक्सी सेवाओं को तरजीह दे रही है, और वाहनों की मांग में कमी का यह भी एक बड़ा कारण है।

हालांकि उन्होंने देश के वाहन उद्योग पर सुस्ती के मौजूदा संकट के और भी कई कारण गिनाए हैं। लेकिन जिस तरह से देशभर के छोटे-बड़े शहरों में ओला और उबर जैसी बड़ी कंपनियों के अलावा भी स्थानीय स्तर पर रेडियो टैक्सी कंपनियां पैर पसार रही हैं, उसे देखते हुए वित्त मंत्री के बयान के मुताबिक ऑटो सेक्टर को इसका एक स्थायी समाधान खोजने की जरूरत है।

ऐसा नहीं कि वित्त मंत्री ने अकेले रेडियो टैक्सी सर्विस पर ऑटो सेक्टर की सुस्ती का ठीकरा फोड़ा हो। उन्होंने यह भी कहा कि अगले वर्ष अप्रैल से बीएस-6 मानक लागू होने वाले हैं, जिसे देखते हुए कुछ ग्राहक इंतजार करना चाह रहे हैं। कंपनियां भी बीएस-6 मानकों के हिसाब से वाहनों को अपग्रेड कर रही हैं। असल में ओला और उबर जैसी रेडियो टैक्सी सेवाओं के प्रति ग्राहकों के आकर्षण की न तो बात नई है, और न इसकी वजहें अनोखी हैं। दिल्ली-एनसीआर जैसे शहरों में कार खरीदने के लिए पहले पार्किंग स्पेस होने की गारंटी देने जैसे नियम देश के अन्य हिस्सों से आकर यहां महज नौकरी करने वाले युवाओं के लिए माकूल नहीं हैं।

दूसरी तरफ, बढ़ते प्रदूषण और जाम की समस्या से निपटने के लिए सरकार कार पूलिंग जैसे उपायों को बढ़ावा दे रही है, जिसके चलते ग्राहक रेडियो टैक्सी सेवाओं की ओर आकर्षित हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हर सुविधा अपने मोबाइल फोन पर खोजने वाली नई पीढ़ी कार रखने और उस पर कई अन्य तरह के खर्च वहन करने के मुकाबले जरूरत के हिसाब से कभी भी और कहीं भी रेडियो टैक्सी को बुला लेना मुफीद मान रहा है।

गौरतलब है कि बीते कुछ महीनों से देश का ऑटो सेक्टर मांग की समस्या से जूझ रहा है। पिछले अगस्त में घरेलू यात्री वाहनों (स्कूटर, बाइक और कार) की बिक्री में लगातार 10वें महीने गिरावट दर्ज की गई। अगस्त 2018 में 2,87,198 यूनिट की तुलना में इस साल अगस्त में सिर्फ 1,96,524 यूनिट ही बिकीं।

चेन्नई में मंगलवार को प्रेसवार्ता करतीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। प्रेट्र

चिन्मयानंद मामले का वीडियो वायरल, आश्रम पहुंची एसआइटी

शाहजहांपुर : दुष्कर्म के आरोपों में घिरे पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। मंगलवार को एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक लड़की व कथित तौर पर स्वामी चिन्मयानंद आपत्तिजनक स्थिति में बातें करते नजर आ रहे हैं। हालांकि वीडियो सही है या नहीं इसकी जांच होना बाकी है। इस बीच एसआइटी ने पीड़िता संग चिन्मयानंद के आश्रम पहुंचकर सात घंटे तक छानबीन की। (पेज-6)

बीतता जा रहा है विक्रम से संपर्क स्थापित करने का समय

बेंगलुरु : चंद्रयान-2 के लैंडर विक्रम से संपर्क स्थापित करने का समय तेजी से बीत रहा है। दरअसल, यान के लैंडर-रोवर का मिशन 14 दिन के लिए ही तय किया गया था जो चंद्रमा के एक दिन के बराबर है। जैसे-जैसे मिशन की तय की हुई अवधि बीत रही है, वैसे-वैसे संपर्क स्थापित करने की संभावना कम होती जा रही है। ज्ञात हो, छह-सात सितंबर की रात को चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर की दूरी परइसरो ने लैंडर से संपर्क खो दिया था। (पेज-7)

भीड़ की हिंसा में नहीं दिल का दौरा पड़ने से हुई थी तबरेज की मौत

जागरण संवाददाता, सरायकेला

- झारखंड के सरायकेला-खरसावां में उन्मादी भीड़ की हिंसा का मामला
- पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट, आरोपितों पर अब नहीं चलेगा हत्या का केस

झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले में उन्मादी भीड़ के हाथों पिटाई के कुछ दिन बाद जेल में दम तोड़ने वाले तबरेज अंसारी मामले में पुलिस ने चार्जशीट सौंप दी है। इसमें उसकी मौत हृदयाघात (हार्ट अटैक) से होनी बताई गई है। भीड़ के हमले से मौत होने की बात से पुलिस ने इन्कार कर दिया है। इस मामले में जेल में बंद 13 आरोपितों पर अब हत्या के बदले गैर इरादतन हत्या की धारा के तहत कार्रवाई होगी।

पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तबरेज की मौत की वजह हृदयाघात व फ्रैक्चर बताया गया है। इसलिए आरोपितों पर हत्या के बदले गैर इरादतन हत्या की धारा लगाई गई है। एसपी ने बताया कि पुलिस ने डॉक्टरों की टीम से जब दोबारा राय ली तो उन्होंने हृदयाघात को ही मौत की वजह बताई। सिर में लगी चोट को डॉक्टरों ने बहुत गंभीर नहीं माना और इस कारण तबरेज की मौत से इन्कार किया। एसपी ने बताया कि इस मामले में 13 लोग आरोपित हैं। सभी की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें 11 के खिलाफ जांच कर रिपोर्ट अदालत को सौंप दी गई है। पिटाई से संबंधित वायरल वीडियो की जांच कराई जा रही है।

ज्ञात हो, 17 जून को सरायकेला के धातकीडीह में बाइक चोरी के आरोप में उन्मादी भीड़ ने तबरेज की जमकर पिटाई की थी। 22 जून को जेल में उसकी हालत बिगड़ गई और इलाज के दौरान मौत हो गई। वायरल वीडियो में तबरेज से भीड़ 'जय श्रीराम' के नारे लगवाती दिखाई दे रही थी। गत 30 अगस्त को तबरेज की पत्नी शाइस्ता परवीन जांच रिपोर्ट मांगने के लिए जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंची थी। उसने आवेदन देकर एसडीओ डॉ. बशारत कयूम की जांच रिपोर्ट व बिसरा की दूसरी जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि मुहैया कराने की मांग की थी।